न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00136

1. श्रीमती यशोदा बाई आयु 65 वर्ष पत्नी स्व0 नारायण उर्फ रामनारायण जाति ब्राह्मण ।
2. कैलाश आयु 42 वर्ष पुत्र नारायण उर्फ रामनारायण जाति ब्राह्मण ।
3. भगवान आयु 38 वर्ष पुत्र नारायण उर्फ रामनारायण जाति ब्राह्मण ।
4. पप्पू आयु 36 वर्ष पुत्र नारायण उर्फ रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासीगण बुरनखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. श्रीमती पवित्रा आयु 39 वर्ष पुत्री नारायण पत्नी परविन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी बुरनखेडी हाल निवासी किशनपुरा तकिया नयागूाव तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

----अपीलान्ट

बनाम

1. विजय कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 01 एम–महावीर नगर तृतीय दण्डवीर हनुमान की गली कोटा ।
2. श्रीमती कान्ता बाई पत्नी स्वं0 जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 –01 एम– 62 तृतीय महावीर नगर दण्डवीर हनुमान की गली कोटा ।
3. श्रीमती गायत्री पुत्री जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी झालरापाटन जिला झालावाड ।
4. श्रीमती सावित्री पुत्री जगन्नाथ पत्नी राधेश्याम श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवासी गोबरिया बावडी कोटा ।
5. श्रीमती राधा बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी शोभाराम जाति ब्राह्मण निवासी महावीर नगर तृतीय कोटा ।
6. ललता बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी भूपेन्द्र श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवासी रेल्वे स्टेशन कोटा जिला कोटा ।
7. गोविन्द पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राह्मण निवासी बुरनखेडी हाल राष्ट्रदूत कार्यालय के सामने श्रीपुरा कोटा जिला कोटा ।
8. गोपाल पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राह्मण निवासी बजरंग लाल राठौर का मकान बंजारा कॉलोनी आदर्श नगर, कोटा जिला कोटा ।
9. श्रीमती भारती पुत्री प्रभू लाल पत्नी गोपाल श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवासी गोपाल किराना स्टोर चारभुजा रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड ।
10. मदन लाल पुत्र माधोलाल जाति ब्राह्मण निवासी जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

11. श्रीमती संतोष बाई पुत्री मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी 05 आई 33 महावीर नगर तृतीय कोटा जिला कोटा ।
12. श्रीमती चन्दा बाई पुत्री मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पंचमुखी बालाजी झालावाड बस स्टेण्ड के पीछे झालावाड जिला झालावाड ।
13. श्रीमती चन्द्री बाई पुत्री मदनलाल पत्नी गुलाब चन्द जाति ब्राह्मण निवासी पंचमुखी बालाजी झालावाड बस स्टेण्ड के पीछे झालावाड जिला झालावाड ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मनोज मंत्री, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण कम 1 से 6 एवं 11 से 13 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 05.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 25.09.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188, 53, 54 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नूरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में कुल 04 किता की रकबा 31 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के स्व0 पिता प्रभूलाल ने प्रतिवादी कम 04 के स्व0 पति व प्रतिवादी कम 05 लगायत 8 के स्व0 पिता नारायण एवं प्रतिवादी कम 09 की स्व0 पत्नी व प्रतिवादी कम 10 व 11 की स्व0 माता रामप्यारी एवं प्रतिवादी कम 12 के संयुक्त खाते एवं काश्त की भूमि है । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी कम 04 लगायत 8 का 1/5 हिस्सा व प्रवितादी कम 09 लगायत 11 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी कम 12 का 1/5 हिस्सा निहित है । इसी प्रकार ग्राम झरझनी तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ में कुल 10 किता की रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 08 का 1/3 – 1/3 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं होने से कृषि कार्य में कठिनाई आती है । वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वे वादग्रस्त आराजियात का विधिवत विभाजन करावें और विभाजन में प्राप्त भूमि को पक्षकारान के पृथक–पृथक खाते में दर्ज करें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मद संख्या 01 में अंकित वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण को 1/3 – 1/3

हिस्से का संभाग से पृथक– पृथक खातेदार घोषित किया जावे तथा पृथक लगान कायम किया जावे । प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 8 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के 1/3 हिस्से को काश्त करने में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया ।

5. प्रतिवादीगण कम 4 लगायत 8 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.09.2020 के द्वारा वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 25.09.2020 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण कम 4 लगायत 8 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में ग्राम झरझनी तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ की कृषि भूमि को भी शामलाती भूमि बताया है । जिस बाबत् अपीलान्ट ने शामलाती भूमि समस्त का बंटवारा एक साथ एक ही प्रकरण में करने हेतु धारा 53 (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अवलम्बन लिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने समान पक्षकार न होने का मनमाना विवेचन कर ग्राम झरझनी का विभाजन नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने शामलाती भूमि का विभाजन नहीं करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.09.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा विभाजन, हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया तहसील रामगंजमण्डी में ग्राम नुरपूर में स्थित आराजी के अलावा पक्षकारान की सम्मिलित खाते में ग्राम झरझनी तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ में भी सम्मिलित खाते की आराजी स्थित है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा है और उनके द्वारा ग्राम नुरपूर में स्थिति आराजी में 1/3 – 1/3 हिस्से से विभाजन करने की प्रार्थना की । अपीलान्टगण ने जवाबदावा पेश किया । अपीलान्ट के द्वारा यह आपत्ति की और कथन किया कि पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है जिसके अनुसार ग्राम नुरपूर की आराजी नारायण उर्फ रामनारायण के हिस्से में आई थी । इस आराजी पर वादीगण कम 1, 2, 3 व 9 लगायत 12 का कोई हिस्सा एवं कब्जा नहीं है । अपीलान्ट के द्वारा यह आपत्ति की गई थी कि यदि विभाजन का दावा पेश किया गया है तो दोनों गॉवों की आराजियात को सम्मिलित करते हुए एक साथ पेश करना चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की आपत्ति को नजर अन्दाज किया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (5) व धारा 16 सीपीसी के अनुसार समस्त गॉवों की आराजी को सम्मिलित करते हुए विभाजन किया जाना चाहिए जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम झरझनी की आराजी को शामिल नहीं किया गया है । वादीगण दावे में अपना 1/5 हिस्सा बताते हैं

और विभाजन में 1/3 हिस्सा प्रदान करने की प्रदान करते हैं जिसमें विरोधाभास है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.09.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1989 पेज 735 उद्वरत की।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम झरझनी में जो आराजी स्थित है उसमें पक्षकार समान नहीं हैं । ग्राम नुरपूर में 05 सहखातेदार हैं और झरझनी में 03 ही सहखातेदार हैं । ऐसी स्थिति में धारा 53 (5) के तहत दोनों आराजियात के लिए एक ही दावा नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट जिन गवाहों के सामने आराजी का बंटवारा होने का कथन करते हैं उनके द्वारा अपने बयानात में इस प्रकार का बंटवारा अपने सामने नहीं होने का कथन किया है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है जिसके विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री डिक्री विधि सम्मत रूप से जारी की गई है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.09.2020 बहाल रखा जावे।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 ग्राम झरझनी प्रदर्श– 1 जिसके अनुसार जगन्नाथ, प्रभूलाल, रामनारायण पिता मथुरालाल के खाते में कुल 10 किता की रकबा 1.82 हैक्टर आराजी दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 प्रदर्श–2 संलग्न है जिसके अनुसार जगन्नाथ, प्रभू, नारायण वल्द मथुरा व रामप्यारी, चन्द्रीबाई पुत्रियॉ व धापू बाई बेवा मथुरा के खाते में कुल 04 किता की 31 बीघा 08 बिस्वा दर्ज है । इस प्रकार ग्राम नुरपूर की आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का 1/6 हिस्सा बनता है न कि 1/5 । वादी के द्वारा अपने दावे में धापूबाई बेवा मथुरा को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही दावे में कहीं यह कथन किया है कि धापूबाई की मृत्यु हो चुकी है । विभाजन के दावे में प्रत्येक सहखातेदार आवश्यक पक्षकार होता है । प्रदर्श – 02 में धापू बाई भी सहखातेदार दर्ज है और प्रत्येक सहखातेदार का संभाग से हिस्सा दर्ज होने से प्रत्येक सहखातेदार का 1/6 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री 1/5 हिस्से के हिसाब से तय की है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार नहीं है ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श–1 में जो सहखातेदार दर्ज हैं वो जगन्नाथ, प्रभूलाल, रामनारायण पिसरान मथुरा लाल हैं इसमें वादीगण की बहिनों और माता का नाम नहीं आया है । वादी विजय श्रृंगी के द्वारा अपने बयानातों में जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ग्राम झरझनी की जमीन भी पुश्तैनी है । बयानों में आगे यह भी कथन किया गया है कि मेरे दादाजी मथुरा लाल मोत्या बाई के गोद गये और ग्राम झरझनी की जमीन मोत्या बाई की है । इस प्रकार यदि झरझनी की आराजी भी पुश्तैनी है और मथुरा लाल के खाते से जगन्नाथ, प्रभूलाल और रामनारायण के खाते में दर्ज हुई है तो इसमें रामप्यारी बाई, चन्द्री बाई पुत्रियॉ धापू बाई बेवा मथुरा भी सहखातेदार दर्ज होने की अधिकारिनी हैं । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 ए संलग्न है उसके अनुसार ग्राम झरझनी की आराजी मथुरा लाल के खाते में दर्ज है । इस प्रकार ग्राम झरझनी और ग्राम नुरपूर की आराजी में वादीगण और प्रतिवादीगण सह खातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं । चन्द्रीबाई, रामप्यारी बाई एवं धापू बाई का नाम ग्राम झरझनी की आराजी में दर्ज होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि दोनों गॉवों की आराजियात में पक्षकार समान नहीं हैं । तद्नुसार विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्वरत नजीर की रोशनी में दोनों गॉवों की आराजियात के विभाजन के लिए एक ही

दावा पेश किया जाना आवश्यक है जो नहीं किया गया है । वादीगण को धापू बाई के बारे में भी न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो जीवित है अथवा नहीं । यदि धापू बाई जीवित है तो उन्हें पक्षकार बनाया जाना भी आवश्यक है ।

13. इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में पैरा संख्या 11 व 12 में किये गये विवेचन अनुसर ग्राम झरझनी की आराजी को शामिल करते हुए नये सिरे से विभाजन की डिक्री पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.09.2020 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 11 में किये गये विवेचन के मध्यनजर वादीगण से ग्राम झरझनी और ग्राम नुरपूर की आराजी के विभाजन बाबत् संशोधित दावा प्रस्तुत करवा कर प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । साथ ही वादीगण धापूबाई के हिस्से के बारे में स्थिति स्पष्ट करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 19.04.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा